बांग्लादेश की संसद में न्यायिक गतिरोध

साभार : द हिन्दू

(18 सितंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

बांग्लादेश की विधायिका न्यायपालिका के खिलाफ लड़ाई की रेखा खींचती है।

संसद के 16 वें संशोधन को समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 'उचित कानूनी कदम' लेने के लिए बांग्लादेश की संसद ने पिछले हफ्ते न्यायपालिका के खिलाफ आवाज उठाई। वर्ष 2014 में पारित संशोधन ने संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार दिया था, जिसे दो-तिहाई बहुमत के आधार पर गैरकानूनी या दोषी पाया गया था। इस संशोधन ने एक तरह से न्यायमूर्तियों के विरोध में संसद की शक्ति बहाल कर ली थी और वह 1972 के मूल संविधान के अनुरूप थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल जुलाई में इस संशोधन को खत्म कर दिया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि यह न्यायपालिका की आजादी के लिए आलोचनात्मक था और सर्वोच्च न्यायिक परिषद की अध्यक्षता की गई, जिसमें न्यायिक न्यायाधीशों को हटाने की शक्तियां शामिल थीं। संसद जिस पर अवामी लीग का वर्चस्व था, ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का फैसला किया, बल्कि मुख्य न्यायाधीश एसके के साथ गलती भी की। संसद जिस पर अवामी लीग का वर्चस्व था, ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने का फैसला किया, बल्कि मुख्य न्यायाधीश एसके सिन्हा की टिप्पणी में भी गलती पायी। उन्होंने कहा था कि संविधान लोगों की सामूहिक इच्छा का एक उत्पाद था, न कि केवल एक व्यक्ति, जिसे 'बंगबंधु', शेख मुजीबुर रहमान के अपमान के रूप में समझा गया, सत्तारूढ़ अवामी लीग ने किया। इस संबंध में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी संसद में प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि उसने 2014 में हुए चुनावों का बहिष्कार किया था। बीएनपी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया था लेकिन न्यायपालिका की आजादी पर स्पष्ट स्थिति से स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया जा रहा था।

बांग्लादेश में ध्रुवीकृत राजनीति के लिए कोई भी मुद्दा राजनीतिक स्वराजियों के बिना बहस करने के लिए मुश्किल है, केवल एक ही है जो न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों को अलग करने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम और भारत में संसदीय प्रणाली के विपरीत है, उदाहरण के लिए, जहां विधायकों को न्यायमूर्तियों का विरोध करने का अधिकार दिया जाता है बांग्लादेशी सांसदों को महाभियोग मुद्दों पर वोट देने की स्वतंत्रता नहीं है और ऐसा करने से उन्हें अनुच्छेद 70 रोकता हैं, जिसमें विधायकों को किसी भी मामले पर अपने पार्टी के फैसले के खिलाफ मतदान करने की मनाही है। यह किसी भी संभावित महाभियोग से एक विवादित विचार-विमर्श को रोकता है, जिससे जो कार्यकारी है न्यायपालिका में नियुक्ति पर अपनी मनमानी करते हैं। न्यायपालिका के खिलाफ टकराव का रास्ता लेने के बजाय, बांग्लादेश के सांसदों और उसके अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका के साथ आगे बढ़ने और उनकी स्थिति को अनजाने में पेश करने से बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायिक परिषद की यह विरासत देश के सत्तावादी अतीत से जुड़ी हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तर्क यह अन्य कानूनों के प्रकाश में कार्यकारी अधिकार से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं, जो बांग्लादेश में विधायी कामों को बाध्य कर सकती है, इसलिए यहाँ सरकार को है पहलुओं पर ध्यान देना होगा।

भारत-बांग्लादेश संबंध

बांग्लादेश भारत का महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है एवं विभिन्न उतार-चढ़ाव भरे संबंधों के बावजूद अनेक कारणों से बांग्लादेश अपने निर्माण से अब तक सदैव भारत के लिये प्रासंगिक रहा है-

- बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से मुख्यभूमि तक संपर्क मार्ग प्रदान कर 'सिलीगुड़ी गलियारे' पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है।
- भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को मूर्तरूप देने में बांग्लादेश की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
- बांग्लादेश, भूटान, इंडिया व नेपाल मोटर वाहन समझौता (BBIN-MV) में जहाँ बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है वहीं वह SAARC, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय सहयोग समझौतों में प्रमुख भागीदार है, अत: क्षेत्रीय शांति एवं विकास को बढ़ावा देने में अहम सहयोगी है।
- वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव एवं कट्टरपंथी शक्तियों का मुकाबला करने में भारत का सहयोग कर सकता है।
- ब्ल्यू इकॉनॉमी और मेरीटाइम डोमेन की सुरक्षा के लिहाज से भी बांग्लादेश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
- जहाँ पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश मार्ग में बांग्लादेश की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है, वहीं इसकी भूमिका म्यांमार में भी है और म्यांमार आसियान देशों से भारत के संपर्क हेतु एक प्रमुख सेतु है।

भारत और बांग्लादेश के बीच से द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने वाले समझौते पर संयुक्त व्याख्यात्मक नोट्स के लिये मंजूरी

संयुक्त व्याख्यात्मक नोट्स (जेआईएन)

- यह भारत और बांग्लादेश के बीच निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण के लिये मौजूदा समझौते की व्याख्या को स्पष्टता प्रदान करेगा।
- जेआईएन में कई उपनियमों के लिये संयुक्त रूप से अपनाये जाने हेतु व्याख्यात्मक नोट्स शामिल होते हैं, जिनमें निवेशक और निवेश की परिभाषा, कराधान उपायों का अपवाद, उचित और न्यायसंगत व्यवहार, राष्ट्रीय व्यवहार और सबसे पसंदीदा राष्ट्र के साथ व्यवहार, अप्रत्याशितता, आवश्यक सुरक्षा हितों तथा निवेशक और पार्टी जिसके साथ करार हो, के बीच विवाद निपटान शामिल हैं।

- निवेश संधि व्यवस्था को मजबूत करने में संयुक्त व्याख्यात्मक वक्तव्य एक महत्त्वपूर्ण अनुपूरक भूमिका निभाते हैं।

द्विपक्षीय निवेश संधि

- यह दो देशों के बीच निजी निवेश की सुरक्षा के लिये नियमों और शर्तों को स्थापित करने का समझौता होता है।
- इसका उद्देश्य निवेशकों को निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार, जब्ती से संरक्षण, साधनों का मुफ्त हस्तांतरण और पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है।
- ये वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की अनुमति देते हैं। इसमें दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा ले सकते हैं।
- यह निवेशक के अधिकारों और सरकारी दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखता है।
- एक मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि की मूलभूत विशेषताओं में - निवेश आधारित उद्यम, उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार का समाधान, जब्ती के खिलाफ सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू होने से पहले स्थानीय स्तर पर विवाद समाधान के लिये एक निवेशक-राज्य विवाद निपटान प्रावधान तथा मौद्रिक मुआवजा देने के लिये न्यायाधिकरण की शक्ति को सीमित करना आदि शामिल होता है।

तीस्ता नदी जल विवाद

- तीस्ता नदी के पानी पर विवाद देश के विभाजन के वक्त से ही चला आ रहा है। तीस्ता के पानी के लिये ही आल इंडिया मुस्लिम लीग ने वर्ष 1947 में सर रेडक्लिफ की अगुवाई में गठित सीमा आयोग से दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की मांग उठाई थी, लेकिन कांग्रेस और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था। तमाम पहलुओं पर विचार के बाद सीमा आयोग ने तीस्ता का ज्यादातर हिस्सा भारत को सौंपा था, उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन वर्ष 1971 में पाकिस्तान से आजाद होकर बांग्लादेश के गठन के बाद पानी का मामला दोबारा उभरा।
- विदित हो कि वर्ष 1983 में तीस्ता के पानी के बँटवारे पर एक तदर्थ समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत बांग्लादेश को 36 फीसदी और भारत को 39 फीसदी पानी के इस्तेमाल का हक मिला, बाकी 25 फीसदी का आवंटन नहीं किया गया था।
- गंगा समझौते के बाद दूसरी नदियों के अध्ययन के लिये विशेषज्ञों की एक साझा समिति गठित की गई थी, इस समिति ने तीस्ता को अहमियत देते हुए वर्ष 2000 में इस पर समझौते का एक प्रारूप पेश किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में दोनों देशों ने समझौते के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी थी और इसके एक साल बाद यानी वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के दौरान दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के बीच इस नदी के पानी के बंटवारे के एक नए फार्मूले पर सहमति भी बनी थी। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध की वजह से इस पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका था।

कारण

- भारत-बांग्लादेश समझौते के तहत किस देश को कितना पानी मिलेगा, फिलहाल यह साफ नहीं है। जानकारों का कहना है कि समझौते के प्रारूप के मुताबिक, बांग्लादेश को 48 फीसदी पानी मिलना है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की दलील है कि ऐसी स्थिति में उत्तर बंगाल के छह जिलों में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी।
- बंगाल सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति से अध्ययन कराने के बाद बांग्लादेश को मानसून के दौरान नदी का 35 या 40 फीसदी पानी उपलब्ध कराने और सूखे के दौरान 30 फीसदी पानी देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बांग्लादेश को यह मंजूर नहीं है। बांग्लादेश ज्यादा पानी मांग रहा है जो कि तीस्ता पर इसकी निर्भरता को देखते हुए जायज भी है लेकिन बंगाल सरकार इसके लिये तैयार नहीं हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद

- दरअसल, उपमहाद्वीप में सीमा विवाद अंग्रेजों के जाने के साथ ही शुरू हो गए थे, भारत के प्रयासों द्वारा 1971 में इस स्वतंत्र राष्ट्र को संप्रभुता तो हासिल हुई पर साथ ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद 'गले की हड्डी' बन गई।
- लेकिन वर्ष 2015 में भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया और इस अध्याय का नाम था 'भूमि सीमा करार'। उम्मीद यह थी कि एलबीए भारत-बांग्लादेश संबंधों को नई ऊँचाईयों पर ले जाएगा।
- हालाँकि एलबीए के लगभग दो वर्षों पश्चात भी भारत-बांग्लादेश संबंधों में उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई है।

भूमि सीमा करार (Land boundary agreement-LBA)

- जैसा कि हम जानते हैं कि एक जमाने में बांग्लादेश, भारत का ही हिस्सा रहा था और इसीलिये प्राकृतिक रूप से बने पहाड़, जंगलों, नदियों और खासकर इंसानों और उनके बस्तियों को कभी ठीक ढंग से बाँटा ही नहीं गया और लकीरें खींचने में जो तकनीकी दिक्कतें थीं, वे बांग्लादेश के बनने से लेकर वर्ष 2015 तक यथावत जस की तस बनी रहीं और इस तरह यह मामला 'लंबित' मामलों की श्रेणी में आ गया था।
- दरअसल, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भारतीय रहते थे और वह इलाका भारत का था, ठीक उसी तरह भारत में भी कुछ ऐसे भू-भाग थे जो बांग्लादेश के थे और उस पर बांग्लादेशी निवास करते थे। इस वजह से जो भारतीय सीमा के उस पार रहते थे उन पर भारतीय कानून लागू नहीं हो पाता था और उन्हें भारत सरकार की सुविधाएँ और अधिकार भी नहीं प्राप्त हो पाते थेद्य एक और समस्या यह थी कि सीमा के सीधी और सरल नहीं होने के कारण वहाँ अवैध तरीके से आवागमन को रोकना भी सुरक्षा बलों के लिये सिर दर्द साबित होता था।
- इसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के समय में लैंड बाउंडरी एग्रीमेंट (भूमि सीमा करार)1974 तैयार की गई थी जिसे वर्ष 2015 तक सदन में पारित नहीं किया गया था। हालाँकि वर्ष 2015 में तत्कालीन सरकार ने इस काम में तेजी दिखाई और मतभेदों को भुलाकर एलबीए पर एक राय बनी और सदन में इसे सर्वसम्मति से पारित भी करवा लिया गया।
- समझौते के तहत 111 सीमावर्ती एंक्लेव बांग्लादेश को मिले जबकि बदले में 51 एंक्लेव भारत का हिस्सा बने। साथ ही भारत के बाशिंदे भारतीय जमीन पर लौट आए और भारत ने 7,110 एकड़ भूमि का आधिपत्य भी पा लिया। इसी प्रकार भारतीय हिस्से के एंक्लेव्स में रह रहे बांग्लादेशी वहाँ चले गए और वहाँ मौजूद भारतीय एंक्लेव की भूमि जो 17,158 एकड़ है वह बांग्लादेश की हो गई।

संभावित प्रश्न

बांग्लादेश के विधायी तथा धार्मिक व्यवस्था में जारी गतिरोधों को स्पष्ट करें तथा भारत से इसका तुलनात्मक अध्ययन करें। **(200 शब्द)**